न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 24/2015

1 ब्रहमप्रकाश पुत्र श्रीराम जाति यादव निवासी जैनाबाद तहसील व जिला रेवाड़ी (हरियाणा)।

अपीलांट

बनाम

1 भंवर कंवर पुत्री भोमसिंह ।
2 उम्मेद सिंह पुत्र भोमसिंह।
3 सायर कंवर बेवा भोमसिंह समस्त जाति राजपुत निवासीगण पाटोदा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
4 संदीप कुमार सहारण पुत्र सतीश कुमार सहारण जाति जाट निवासी धीरवास बड़ा तहसील तारानगर जिला चुरू।
5 कृष्ण आयु 30 वर्ष पुत्र ओमप्रकाश।
6 संदीप उम्र 20 वर्ष पुत्र ओमप्रकाश।
7 सरिता देवी पत्नी ओमप्रकाश समस्त जाति यादव निवासीगण फैजाबाद तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़।
8 सरकार जरिये तहसीलदार भूमिधारक मलसीसर जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील बखिलाफ निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री
दिनांक 28.06.2013 उनवानी भंवर कंवर
बनाम उम्मेद सिंह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर झुंझुनू मुकदमा नम्बर 62/2018

उपस्थिति :

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

1. श्री विनोद गिल, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 24.08.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा मुकदमा संख्या 62/2018 में पारित निर्णय दिनांक 28.06.2013 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दावा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था उसमें अपीलार्थी का वकील अनिल कुमार सैनी था जिसकी वर्ष 2011 मृत्यु हो गई। इस तथ्य की अपीलार्थी को समय पर सुचना नहीं मिली तथा इस दौरान दावा में प्रतिवादी नम्बर 3 ओमप्रकाश की मृत्यु हो गई जिसके वारिसान का वकील भैरोसिंह आदेशिका के अनुसार हे। दिनांक 01.04.2013 को अपीलार्थी के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अपीलार्थी के वकील की मृत्यु हो जाने से तथा ओमप्रकाश के वारिसान के वकील भैरूसिंह शेखावत ने नवलगढ़ वकालत करना आरम्भ कर दिया। इन तथ्यों की जानकारी अपीलार्थी को समय पर नहीं हुई इस कारण दिनांक 01.04.2013 को एक पक्षीय शहादत लेकर अपीलार्थी के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अपीलार्थी को जिरह का अवसर नहीं मिला। शहादत का अवसर नहीं मिला। इसलिये उक्त एक पक्षीय शहादत के आधार पर दिनांक 28.06.2013 को एक पक्षीय प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलार्थी के वकील की मृत्यु व ओमप्रकाश के वारिसान के वकील भैरोसिंह शेखावत द्वारा नवलगढ़ वकालत आरम्भ कर देने से उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को साक्ष्य सबुत पेश करने का अवसर नहीं मिला। वकील की मृत्यु व दुसरे वकील द्वारा अलग वकालत करने के कारण पक्षकार को हानी हो यह न्याय

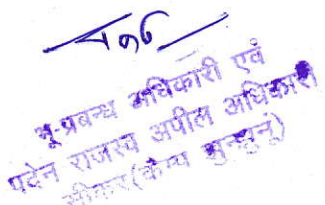

की मंशा नहीं है तथा 28.06.2013 के पश्चात दिनांक 16.07.2013 को उक्त पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू से उपखण्ड अधिकारी मलसीसर में स्थानान्तरित कर दी गई। जब पत्रावली दिनांक 16.07.2013 को स्थानान्तरित करके आगामी पेशी दिनांक 13.08.2013 नियत की गई उक्त तथ्यों की भी अपीलार्थी को जानकारी नहीं थी। उपखण्ड अधिकारी मलसीसर को अपीलार्थी को नोटिस देना चाहिये था। जो नहीं दिया तथा उसी आदेशिका को आगे बढाते हुये इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी मलसीसर के समक्ष चलता रहा। उक्त एक पक्षीय आदेश व एक पक्षीय निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री से अपीलार्थी गंभीर रूप से प्रभावित होता है। क्योंकि अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला है। अदालत मातहत ने जो विभाजन प्रस्ताव मंगवाये है। उससे भी अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं मिला। इसलिये उक्त निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री काबिले निरस्त है। निर्णय दिनांक 28.06.2013 प्रारम्भिक डिक्री 28.06.2013 की अपीलार्थी को जानकारी नहीं थी। अपीलार्थी ने झुंझुनू आकर अपने मुकदमें बाबत जानकारी की तब अपीलार्थी को पता चला कि अनिल सैनी एडवोकेट की मृत्यु हो चुकी है तथा भैरूसिंह ने नवलगढ़ वकालत प्रारम्भ कर दी है तथा यह भी पता चला कि उक्त पत्रावली मलसीसर चली गई। तब अपीलार्थी दिनांक 15.03.2015 को मुकदमें की नकल लेने के लिये आवेदन किया। उक्त नकल मिलने पर अपीलार्थी को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। अपील अन्दर मियाद नहीं मानी जावे तो दफा 5 का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है। क्योंकि मुकदमें में एक पक्षीय कार्यवाही व निर्णय पारित होने में तथा वकील की मृत्यु होने व भैरोसिंह द्वारा नवलगढ़ वकालत आरम्भ करने का कारण रहा है। अपील को अन्दर मियाद स्वीकार करने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत

प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में दौराने सुनवाई अपीलांट के वकील अनिल सैनी की वर्ष 2011 में मृत्यु हो गई इसकी सूचना अपीलांट को नही होने पर एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश एवं विचाराधीन निर्णय की जानकारी अपीलांट को नही हो सकीं। अपीलांट के कथनों का खण्डन रेस्पोडेंट द्वारा उपस्थित होकर नही किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के गुणावगुण पर निर्णय एवं अपीलांट को सुनकर निर्णय हेतु प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अपीलांट विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.08.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 24.08.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर